न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

बइजलास – पीठासीन अधिकारी– रोहित कुमार आर.ए.एस.

विविध सं. 39/2018

प्रार्थी

1. राणाराम पुत्र वागाराम जाति जाट
2. ओमाराम पुत्र देदाराम जाति जाट
3. लेहरो देवी पत्नि देदाराम जाति जाट निवासियान बलाणीया बलाऊजाटी, तहसील पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1. किस्तुराराम पुत्र तुलसाराम जाति जाट
2. धर्माराम पुत्र तुलसाराम जाति जाट
3. वीरोदेवी पत्नि तुलसाराम जाति जाट
4. जसाराम पुत्र शिवाराम जाति जाट
5. खरताराम पुत्र हरचन्दराम जाति जाट
   निवासियान बलाणीया बलाऊजाटी तहसील पचपदरा
6. श्रीमती मोहनी पत्नि केसाराम जाति जाट निवासी मूढो की ढाणी पतासर तहसील पचपदरा
7. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदरा व उप पंजीयन अधिकारी पचपदरा
8. हल्का पटवारी बलाऊजाटी

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ.

आदेश

दिनांक : 19.02.2020

उपस्थिति 1. रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. अचलाराम थोरी अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 4 व 6 की ओर से

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के विरूद्ध वर्तमान प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 01 ता 04 की पैतृक व संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खेत सं. 407/56 रकबा 13.11 बीघा, ख.सं. 408/56 रकबा 02.11 बीघा खसरा स. 65 रकबा 31.03 मौजा बलाणीया में आयी हुई हैं, उक्त भूमियों में प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण का संयुक्त कब्जा काश्त हैं, जिसमें प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 01 ता 04 ने आपसी पारिवारिक बंटवाडा किया गया, जिसमें प्रार्थीगण को बंटवाडे में खेत खसरा सं. 407/56, 408/56 कुल रकबा 16.02 बीघ हिस्से में रखी गयी तथा सर्व सहमति से कब्जा सुपुर्द किया, वर्तमान में इसी माफिक प्रार्थीगण का कब्जा काश्त हैं, खेत खसरा सं. 65 रकबा 31.03 बीघा भूमि विप्रार्थीगण सं. 01 ता 04 को पारिवारिक बंटवाडा अनुसार दी गई, इसी अनुसार कब्जा काश्त हैं, विप्रार्थीगण ने उक्त बंटवाड़ा अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद कराने का विश्वास दिलाया, किन्तु उसके बाद विप्रार्थी सं. 04 जसाराम ने बिना बंटवाडा कराये खेत खं. सं0 65 में 1/3 हिस्सा विप्रार्थी सं. 05 खरताराम को बेचान कर दिया, तथा विप्रार्थी सं. 04 ने खसरा सं. 407/56, 408/56 की भूमि में 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्ट्री दिनांक 09.02.2018 को बेचान कर दिया, मगर उक्त भूमियों पर जसाराम का कोई कब्जा काश्त नहीं था, माफिक बंटवाड़ा जसाराम ने प्रार्थीगण को उक्त भूमियों का कब्जा करवा दिया था, राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा नहीं होने से विप्रार्थी सं. 4 जसाराम प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि में जबरन काश्त करने के लिए उतारू हुआ, अपने रिश्तेदारों, भाईयों को बुलाया, जसाराम बदमाश प्रवृति का व्यक्ति हैं, प्रार्थीगण अपने हक हिस्से अनुसार कदीमी से काबिज हैं, विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को हक– हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करन की नाजायज कौशीश कर रहे हैं, प्रार्थीगण को बेदखल किया जाता हैं, तो प्रार्थीगण को भारी आर्थिक नुकशान होगा ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया, विप्रार्थी सं. 4, 6 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया अन्य ने कोई जवाब पेश नहीं किया ।

.....2

Scanned by CamScanner

विप्रार्थी सं. 04 ने जवाब में कथन किया कि, भूमियां खसरा सं. 407/56, 408/56 व 65 में संयुक्त कब्जा काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 01 ता 04 का रहा, तदोपरांत खसरा सं. 65 में से मुझ विप्रार्थी सं .04 ने अपना 1/3 हिस्सा विप्रार्थी सं. 05 को बेचान किया तथा खसरा सं. 407/56, 408/56 में जो मेरा 1/3 हिस्सा था, वो हिस्से जरिये रजिस्ट्री विप्रार्थी सं. 06 को बेचान किया, कोई मौखिक पारिवारिक बंटवाड़ा कभी भी विप्रार्थी व प्रार्थीगण के मध्य नहीं हुआ । विप्रार्थी सं. 06 ने जवाब पेश कर कथन किया कि, बाद खरीद भूमियों पर उसका निरन्तर कब्जा काश्त हैं, विप्रार्थी सं. 04 रेकर्डेड खातेदार था और उतना ही हिस्सा विप्रार्थी सं. 06 ने खरीद किया हैं । प्रार्थीगण बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् बंटवाड़ा कराते हैं, तो मुझ विप्रार्थी सं. 06 को आपत्ति नहीं हैं, पूर्व दावा में संयुक्त कब्जा काश्त के तथ्यों को प्रार्थी ने स्वीकार किया हैं । प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा विप्रार्थी सं. 06 के विरूद्ध पाने का अधिकारी नहीं हैं, जिस रोज विप्रार्थी सं. 06 ने भूमि खरीद की, उस रोज उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन नहीं थी, विप्रार्थी सं. 04 ने किसी विशिष्ट भाग का बेचान नहीं किया हैं । विप्रार्थी सं. 04 व 06 के अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत RRT 2004 (1) पेज 365 पेश किया ।

दोनों पक्षों के जवाब प्रस्तुत होने पर हमने बहस सुनी, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात, न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन व अध्ययन किया तथा न्यायिक दृष्टांत से मार्गदर्शन प्राप्त किया ।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया तथा विप्रार्थीगण ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराया ।

पत्रावली के संलग्न जमाबंदी का अवलोकन करने से यह तथ्य सामने आया कि, खाता सं. 36 के खसरा नम्बर 407/56, 408/56 मौजा बलाणीया राणा पुत्र वागा हि. 1/6, ओमा पुत्र देदा, लेहरो पत्नि देदा हि. 1/6, किस्तुरा, धर्मा पुत्रान तुलसा, वीरो बेवा तुलसा का 1/3 हिस्सा तथा जसाराम वल्द शिवा का 1/3 हिस्सा दर्ज हैं, पत्रावली के संलग्न पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 12.02.2018 का अवलोकन व अध्ययन किया । वर्तमान प्रार्थना पत्र व उससे सम्बन्धित मूल वाद न्यायालय में प्रथम बार दिनांक 22.03.2018 को प्रस्तुत हुआ था, जबकि पंजीकृत बेचाननामा 12.02.2018 को विप्रार्थी सं. 04 के द्वारा विप्रार्थी सं. 06 के नाम पंजीकृत करवाना साबित होता हैं । वक्त पंजीकरण दस्तावेज कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में सलंग्न नहीं हैं । विधि अनुसार एक रेकर्डेड खातेदोर टीनेन्ट अपने खातेदारी भूमि का बेचान करने हेतु स्वतंत्र हैं, जमाबंदी में जो हिस्सा विप्रार्थी सं. 04 के नाम दर्ज था, उससे अधिक हिस्सा विप्रार्थी सं. 04 के द्वारा बेचान किया हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं । यदि दौराने दावा रेकर्ड की यथास्थिति रखने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं, तो पक्षकारान को असुविधा, क्षति होने से इंकार नहीं किया जा सकता हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के बाद हमारी विनम्र राय के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं, फिर भी न्यायहित में भूमि खसरा सं. 407/56, 408/56 व 65 मौजा बलाणीया पटवार हल्का बलाऊजाटी तहसील पचपदरा के मौके की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय निस्तारण तक कायम रखेंगे । विप्रार्थी सं. 04 जसाराम से उसका हिस्सा खरीद करने वाली विप्रार्थी सं. 06 मोहनी देवी पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 12.02.2018 के आधार पर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अपना नाम जरिये म्यूटेशन दर्ज करवाने की अधिकारी हैं, प्रार्थना पत्र का उपरोक्त अनुसार निस्तारण किया जाता हैं, पत्रावली फैंसल शुमार हो ।

आदेश आज तारीख 19.02.2020 को सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(सेहित कुमार)
सहायक कलेक्टर (S.D.O.), बालोतरा

Scanned by CamScanner